

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

In the Matter of

'Tribunal on its own motion Suo Moto based on: News Item titled "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिये जल सत्याग्रह" appearing in Kelo Pravah dated 09.06.2024'

**Original Application No.192/2024 (CZ)
&
Original Application No. 917/2024 (PB)**



Date of Site Inspection: 03th October, 2024
Location: District Raigarh, Chhattisgarh

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Background	01
2.	Constitution of Joint committee	01
3.	Term of reference to the Joint committee	01
4.	Meeting of the Joint committee	01
5.	Brief about Raigarh District	01
6.	About Kelo River and its conservation steps	02
7.	About Solid Waste Management in Raigarh Municipal Corporation Area	03
8.	Observation of the Joint Committee on the ToR to the Committee	03
9.	Action taken by Chhattisgarh Environment Conservation Board	04
10.	Submission of Municipal Corporation Raigarh	05
11.	Conclusion and Recommendations	06

1. Background:

The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi took *suo-motu* cognizance of the present case based on the newspaper clip titled "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिये जल सत्याग्रह" appearing in Kelo Pravah dated 09.06.2024 and registered in the Hon'ble NGT (PB), New Delhi as O.A. No.917 of 2024.

In the above matter, Hon'ble NGT, Central Bench, Bhopal vide its Order dated 24.09.2024 constituted a Joint Committee comprising of (i) One Representative from District Magistrate, Raigarh Chhattisgarh (ii) One Representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board and directed the said Committee to submit factual and action taken reports within two weeks.

2. Constitution of Joint Committee:

In compliance with the Order dated 24.09.2024 of Hon'ble NGT, New Delhi and based on the nominations received from the organizations concerned, a Joint Committee has been constituted, comprising the following members:

- (i). Sh. Sameer Bara, Deputy Collector, Raigarh.
- (ii). Sh. Ankur Sahu, Regional Officer, CECB Raigarh.

The Committee constitution nomination letter are enclosed as **Annexure-1**.

3. Terms of reference (ToR) to the Joint Committee:

The Terms of Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 24.09.2024 of Hon'ble NGT in the above matter inter-alia include the following:

- (i). Committee shall visit the District Raigarh (kayaghat to kharraghat) & ascertain the claim of article that drain water is falling in to the river at four spots.
- (ii). To assess the claim that garbage is being dump from the river bank to under the bridge.
- (iii). The Committee shall submit the report before Central Zonal Bench of the Tribunal within two weeks.

4. Meeting of the Joint Committee:

An introductory meeting of the Joint Committee was held on 03/10/2024 at Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raigarh. During the meeting and subsequent site inspection held on 03/10/2024, Shri. Sooraj Dewangan, Assistant Engineer, Municipal Corporation Raigarh, was also present.

5. Brief about Raigarh District of Chhattisgarh:

Raigarh district is situated in the north eastern part of the Chhattisgarh. Between Latitudes 21°20'21":22°47'13"N and Longitudes 82°55'36" : 83°42'16"E. Geomorphologically, the area of the district to the north of Mahanadi River exhibits landforms of low-level structural

plateaus, structural plain, pediplain/pediment, denudational hills and valleys and the region of middle and high level plateaus. The younger flood plain (including infilled river beds) delineated along the course of the Mahanadi River. The area of the south of Mahanadi River exhibits land forms of structural hills and valleys, older flood plain, denudational slope, pediment/ pediplain and denudational hills and valleys. Physiographically the district forms a part of a Mahanadi basin drained by the Mahanadi and its tributaries viz Mand, Kelo and Kurket. The general slope of the area to the north and south of Mahanadi River is towards south and north direction respectively. Kelo river originates from the Gharghoda Tehsil's Ludeg hills of the district. River stretches of 107 km passing through Raigarh district. River Kelo and Mand flows from North to South. Mand River flows 35 km through Raigarh district of Chhattisgarh.

6. About Kelo River and its conservation steps :

Kelo river flows through Raigarh city which is the eastern border of Chhattisgarh state Kelo river originates from the Gharghoda Tehsil's Ludeg hills of the district. River stretches of 107 km passing through Raigarh district. River Kelo flows from North to South. It is a perennial river. Raigarh is a city and municipal corporation through which the Kelo River flows, with about 15 km of the Kelo River. Raigarh to Kanaktura has been included under Category 05 by the River Rejuvenation Committee formed for the revival of polluted parts of the rivers of Chhattisgarh state.

The main objectives of the action plan is to bring polluted river stretches to be fit at least for bathing purposes (i.e. BOD < 3 mg/l and FC < 500 MPN/100ml) within six months from the date of finalization of action plan.

Action plan has been prepared keeping following factors into consideration:-

- Over view of water quality of rivers and identification of all polluted rivers and stretches.
- Inventory of sources of industrial effluent generating from industrial clusters and the quantum of industrial effluent generation from different industrial sources.
- Assessment of existing industrial effluent treatment infrastructure and its capacity.
- Assessment of alternative use of treated industrial effluent for different purpose which include road constructions and maintenance, for industrial cooling, gardening maintenance and development in cities and towns wherever feasible.
- Mobilizing and monitoring of the progress on the action plan by the executing agencies within the given time frame.

In the above context, Raigarh Nagar Nigam has constructed 02 sewage treatment plants located at Bade Atarmuda and Banjhinpali, Raigarh. Details of STP are mentioned below:

- a. STP detail of location Bade Atarmuda, Raigarh-** STP of 07 MLD based on SBR technology has been established at Bade Atarmuda having a catchment area of 06 drains joining Kelo River in (1) Near Belladula (LR-2) (2) Near Belladula (LR-3) (3) Near Belladula (LR-4) (4) Marine Drive SSR Near Road (LR-8) (5) Near Panjri Plant (LR-10) (6) Near Pahar Para (LR-11) etc. which discharge into Kelo River through drains, which is operational through 27.06.2022.

- b. STP detail of location Banjhinpali, Raigarh-** STP of 25 MLD based on SBR technology has been established at Banjhinpali having a catchment area of (1) Near Bandalali Fatima Nagar (RR-1) (2) Near Faujdarpara (RR-3) (3) Near Dewangan Mohalla (RR- 4) (4)Near Koshtapara (RR-6) (5) Near Shaheed Chowk (RR-7) (6) Near Panchdhari (RR-9) etc. which discharge into Kelo River through drains, which is operational through 27.05.2022.

7. About Solid Waste Management in Raigarh Municipal Corporation Area:

Raigarh is an industrial city located in the State of Chhattisgarh. The Raigarh Municipal Corporation is consisting of 48 wards with a population of 1.66 lakhs having average solid waste generation of 33.56 TPD. Among this generated waste, 19.94 TPD is wet waste and 13.62 TPD is dry waste. As informed by the Municipal Authority approx. 95% of source segregation and 100% door to door waste collection is being done daily. Construction and demolition waste generated in the city is being dumped into low lying areas and no C&D waste processing plant exists. SLRM centers: There are 12 SLRM centers equipped with 133 tricycles and 8 mini tippers used for the collection, transportation and processing of solid waste generated. Reportedly 266 SHG women are involved in the 12 SLRM centers for the collection and further processing of municipal solid waste. For processing the wet waste 224 compost pits with total capacity of 560 MT is provided and for processing the dry waste MRFs having total capacity of is 60 TPD is provided at SLRM centersPage 28 of 69 SLRM Center at Ward 32, Banjipali Fathamuda, Raigarh: The Joint Committee visited the SLRM center located at Ward 32, Banjipali Fathamuda of Raigarh, wherein approx. 0.73 TPD of solid waste is collected from 1371 households and 192 shops covering 03 wards using 6 manual rickshaws (one rickshaw is provided as standby). The door-to-door waste collection from the households is achieved by 13 SHG women. Source segregation is being adopted at households itself. For processing of wet waste 24 compost pits are provided with total capacity of 52 MT. Approx 30 garbage vulnerable points in the city has been identified, Safaidaroga are deployed for creating awareness and imposing penalty against the littering of solid waste.

8. Observation of the Joint Committee on the ToR to the Committee:

The officials of Joint Committee inspected the Kelo River stretch between Kharraghat to Kayaghat and surrounding areas :-

1. STP (25 MLD) at Banjhinpali was found operational but it was also observe that some quantity of waste water was also bypassing from the STP. During the inspection of Tipakhol Reservoir situated at Village –Tipakhol ,Tehsil and District Raigarh, it was found that there is a leakage in the check dam of the Reservoir causing bypass of huge amount of Reservoirs water from the above checkdam into the Chandmari Nallah near Raja Para and getting mix with sewage of the Nallah. This huge amount of sewage of Chandmari Nallah impacted the working efficiency of the water Pumping Station of STP causing excess quantity of above water to bypassed from the Nallah and is ultimately meeting with the Kelo River.
2. **STP(07 MLD) at Bade Atarmuda, Raigarh** was found operational.

3. Municipal solid waste was also found inappropriately dumped at 04-05 places in the adjacent areas of river flow. As per the information given by Shri. Sooraj Dewangan, Assistant Engineer, Municipal Corporation Raigarh that the surrounding households of River area may throw the above municipal waste in the river area.
4. The Continuous Water quality Monitoring Stations installed at Upstream and downstream points the Polluted River Stretch of Kelo for Continuous Monitoring of river water quality by Chhattisgarh Environment Conservation Board were found operational. The Parameters of the Monitoring was found under the standard prescribed limit of IS2296-1982. Result/data of the above attached as **Annexure -2**.




Image of Kelo River along with STPs

9. Action taken by Chhattisgarh Environment Conservation Board:

As per the NGT order dated 25.07.2024 officers of Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raigarh official inspected the kelo river stretch from kharraghat to kayaghat. Observation and finding on inspection dated 10.09.2024 were mentioned below:

1. Municipal solid waste dumped at near 25 MLD IPS, near DPS kids school, Kolta Samaj Bhawan and some points at both site of river from chkrapath bridge to kayaghat.

2. The flow of polluted water into the river was observed through an open drain in the opposite direction of Kelo Maha Aarti Ghat and near the bridge of Kaya Ghat.

For above observations show caused notice has been issued to Municipal Corporation Raigarh on dated 12.09.2024. Copy attached as **annexure-3**.

10. Submission of Municipal Corporation Raigarh:

Municipal Corporation Raigarh vide a letter dated 03.10.2024 has informed the joint committee that Kelo River is the life giving river for Raigarh city and its protection and cleaning is very important for the future of the people of Raigarh. At present, the following difficulties are being faced in cleaning the Kelo River and the surrounding area and making it a pollution-free area:-

1. Due to excessive leakage water from Tipakhhol reservoir getting into the city drain, more water than the capacity is reaching the I & D pump and wetwell pumping house.
2. Ignorant throwing of household waste on the river bank by the residents of the river bank locality.
3. Use of plastic and throwing of plastic in the river by the city residents within the municipal area.
4. Idol immersion and throwing of worship materials in the river.
5. Construction work of railway bridge by Railway Department.

For the above challenges Municipal Corporation Raigarh has planned the following activities-

1. Considering the spread of urban population on both the banks of the river and the condition of the drains, 06-06 dams have been constructed on both sides of the river. Construction and operation of STP has been given to M/s Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd. Delhi for 15 years. Corporation has also issued notice for miss management in operation of STP to M/s Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd. Delhi.
2. 02 STP have been constructed in the city on the basis of urban population and number of houses, in which the treatment of waste water coming out of houses is done. At present, a large amount of water from Tipakhhol reservoir is flowing into the drains of the city. Due to which more water than the capacity of the STP is flowing into the river. A letter has been sent to the Executive Engineer, Water Resources Department, Raigarh to make permanent arrangements to prevent excessive amount of water leakage from Tipakhhol reservoir from getting into the drains of the city.
3. Public awareness is being spread by conducting continuous cleanliness campaigns on both the banks of the rivers to completely stop throwing garbage by the local residents on the river banks. In this sequence, on 22.09.2024, more than 2000 volunteers participated in the cleaning campaign to clean all the banks of the river. Apart from this, penalty action is being taken against those found throwing garbage on the river banks.
4. A ban has been imposed on common citizens from immersing idols and throwing puja materials into the river. For this, a separate idol immersion pond has been constructed and dustbins have been installed to throw the worship materials.

5. For the last two years, the work of railway bridge over the river is being done by the Railway Department for the expansion of the railway line. For the construction of the railway bridge, a diversion point has been made in the middle of the river using stones. The published news agency mentioned the said diversion point as debris and wrote about the accumulation of debris. Presently the railway work is in progress.

In addition to the above actions, the following actions have been proposed to keep Kelo River clean :-

1. To prevent polluted water from mixing with rainy season water, an action plan has been made to lay sewer network for drains and lining and pipelines of various main drains in the city like Indranagar Nala, Kevadbadi Nala etc., which will amount to approximately Rs 82.28 crore. There is a plan of Rs 82.28 crore.
2. The proposal for beautification of Kelo River and construction of garden is proposed which amounts to Rs. 30.0 Crores and the proposal has been sent for approval to state government.
3. The proposal for development of Kelo River front has also been prepared through CSR which amounts to Rs 87.52 Crores.
4. The proposal for construction of additional course screen and nets to prevent the throwing of solid waste to river directly by citizens has also been prepared. The proposal has been sent for approval to state government.

Submission of notice reply copy is attached as **annexure-4**.

11. Conclusion and Recommendations:

Committee has visited the Tipakhol reservoir and found that excessive water was going through drain which is impacting the working of STPs. For efficient working of STPs there is need for trapping or controlling the flow of leakage water into the drain. Commissioner Municipal Corporation Raigarh has already directed Executive Engineer Water Resources Department to take immediate action for controlling of excess water vide letter dated 27.09.2024. Going through the above facts and the document submitted by Municipal Corporation Raigarh, the committee is of the view that following additional steps should be adopted for proper treatment of sewage water and disposal of municipal solid waste:

- (i). The check dam of Tipakhol reservoir should be rectified so that bypass of reservoir water and its mixing with the sewage of Chandmari Nala should be stopped by Water Resource Department. At present a temporary barrier may be constructed or the flow of bypassed reservoir water may be diverted into the nearest canal to mitigate the above problem.
- (ii). For controlling of excessive water the drain should be diverted or flow should be controlled by providing adequate barrier in to the drain as well as the leakage point of reservoir.
- (iii). The network of channel for receiving of sewage in STPs need to be reviewed so that untreated sewage shall be stopped from reaching the river and abdicate flow of the sewage to the STPs should be ensured.
- (iv). Permanent/RCC bund should be constructed on the Indranagar Nala and Kevadbadi Nala so that by passing of sewage should be stopped.

- (v). Construction of additional course screen and nets to prevent the throwing of solid waste to river directly should be done immediately.
- (vi). Urban local body should completely ensure house to house collection of municipal solid waste in the areas located adjacent to river stretch and frequency of imposition of penalty for dumping of solid waste near kelo river should increase.
- (vii). Public awareness drives regarding waste littering, single use plastic prohibition and waste separation should be expanded to the areas located adjacent to river stretch. Warning boards intimating the penalty for littering of waste, idol immersion, and worship waste should be provided near kelo river.
- (viii). Start using trash skimmer to collect floating matter in the river and bar racks to remove plastic waste from the river.
- (ix). Urban local bodies shall strengthen composting facilities in their SLRM centers so that biodegradable waste can be properly manage and useful compost may be utilize for greenbelt development.

In view of the above, the committee submits that necessary action for the above recommendation may be initiated by Municipal Corporation Raigarh.



Ankur Sahu
Regional Officer,CECB,
Regional Office, Raigarh



Sameer Bara
Deputy Collector,
Raigarh

Photographs of the Committee visit





Raigarh, CT, India
Raigarh, Raigarh, 496005, CT, India
Lat 21.940953, Long 83.356355
10/03/2024 01:40 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera



Raigarh, CT, India
Raigarh, Raigarh, 496005, CT, India
Lat 21.940943, Long 83.356367
10/03/2024 01:40 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera





कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जावक क्र. 1464 /क्षे. का./प.सं.मं./2024

रायगढ़, दिनांक 30/09/24

--:कार्यालय आदेश:-

---:00:---

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच ओ.ए. क्रमांक 192/2024 (सी.जेड.) (917/2024-PB) केलो प्रवाह में प्रकाशित खबर दिनांक 09/06/2024 "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिये जल सत्याग्रह" में गठित संयुक्त समिति में निरीक्षण कर प्रतिवेदन 02 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया है :-

1. कलेक्टर, जिला-रायगढ़ के प्रतिनिधि
2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रतिनिधि

उपरोक्तानुसार संयुक्त समिति में कार्यालय कलेक्टर जिला-रायगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में श्री समीर बड़ा, डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को नामित किया जाता है।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़
रायगढ़, दिनांक

पृ. क्र. /क्षे. का./प.सं.मं./2024

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री समीर बड़ा, डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को सूचनार्थ एवं फालनार्थ प्रेषित।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 5828 / विधि / छ.ग.प.सं.मं. / 2024


अटल नगर दिनांक 27/9 / 2024

—:: कार्यालय आदेश ::—

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण OA 192/2024 (CZ) News Item Titled "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिए जल सत्याग्रह" Appearing in Kelo Pravah Dated 09.06.2024 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2024 के अनुसार प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया है :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, जिला-रायगढ़ के एक प्रतिनिधि
2. छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल के एक प्रतिनिधि

आदेशानुसार उपरोक्त संयुक्त समिति को Factual & Action Taken Report तैयार कर 02 सप्ताह के भीतर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करना है। उक्त प्रकरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कार्य हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल की ओर से श्री अंकुर साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ (मो.नं. 9685095091 ई-मेल roraigarh.cecb@gmail.com) को नोडल अधिकारी एवं प्रतिनिधि नामित किया जाता है। संयुक्त समिति के अन्य प्रतिनिधियों से समन्वय कर निर्धारित समयावधि के भीतर Factual & Action Taken Report ई-मेल ngtczbbho-mp@gov.in में पी.डी.एफ./ओ.सी.आर. प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक / विधि / छ.ग.प.सं.मं. / 2024


अटल नगर दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला मजिस्ट्रेट, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)





माननीय एन.जी.टी
अति महत्वपूर्ण

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

टी.व्ही.टॉवर रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
Email ID: roraigarh.cecb@gmail.com

जावक क्र. 1344 /क्षे.का./पर्या.सं.मं./2024

रायगढ़ दिनांक 12/09/24

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, रायगढ़,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- News Item titled "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिए जल सत्याग्रह" appearing in kelo Pravah dated 09.06.2024 बाबत।

संदर्भ :- 1. माननीय The National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi में Original Application No. 917/2024 के परिपेक्ष्य में आदेश दिनांक 25.07.2024.
2. इस कार्यालय का निरीक्षण दिनांक 10.09.2024.

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय The National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi में Original Application No. 917/2024 के द्वारा News Item titled "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिए जल सत्याग्रह" appearing in kelo Pravah dated 09.06.2024 के परिपेक्ष्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2024 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा रायगढ़ शहर से प्रवाहित केलो नदी के किनारे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण दौरान निम्नानुसार स्थितियाँ अवलोकित की गई :-

1. केलो नदी के किनारे 25 एमएलडी-IPS के समीप दोनों तरफ नगरीय ठोस अपशिष्ट का जमाव पाया गया।
2. खर्गाघाट में पुल के दायीं ओर नदी तट पर (कुछ स्थानों पर), DPS Kids स्कूल के सामने स्थित नदी किनारे, कोलता समाज भवन के सामने नदी घाट के समीप नगरीय ठोस अपशिष्ट का जमाव पाया गया।
3. चक्रधर पूल से लेकर कया घाट तक कुछ स्थानों पर केलो नदी के दोनों तरफ नगरीय ठोस अपशिष्ट का जमाव पाया गया।
4. केलो महाआरती घाट के विपरीत दिशा में तथा कया घाट के पूल के समीप खुले नाले के माध्यम से दूषित जल का प्रवाह नदी में होना अवलोकित किया गया।

इस प्रकार नगर पालिक निगम रायगढ़ के द्वारा Municipal Solid Waste Management Rule, 2016 में बिन्दु क्रमांक 15 में उल्लेखित दायित्वों/शर्तों पालन नहीं किया जा रहा है तथा नगर से प्रवाहित शेष नालों को स्थापित एस.टी.पी. से जोड़कर उपचार पूर्ण रूप से किया जाये। कृपया सूचित हो कि माननीय The National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi में Original Application No. 917/2024 के परिपेक्ष्य में आगामी सुनवाई दिनांक 24.09.2024 को माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल में नियत है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को अवगत कराये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Asah

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़
रायगढ़, दिनांक 12/09/24

पृ. क्र. 1345 /क्षे. का./प.सं.मं./2024

प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

Asah

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

CECB (Chhattisgarh Environment Conservation Board)

Kelo_Up Stream

From: 2024-10-03 00:00:00 To: 2024-10-03 23:00:00

Time stamp	pH	BOD	COD	NO3	TSS	TEMP.	COND.	DO
03-Oct-2024 00:00	7.27	2.54	13.87	0.86	14.92	30.7	142	6.46
03-Oct-2024 01:00	7.16	2.82	14.36	0.81	15.26	29.7	140	5.03
03-Oct-2024 02:00	7.12	2.71	14.16	0.84	15.02	29.98	140	5.35
03-Oct-2024 03:00	7.12	2.81	14.36	0.82	16.42	29.8	139.25	5.22
03-Oct-2024 04:00	7.12	2.9	14.5	0.86	16.07	29.62	138.25	5.08
03-Oct-2024 05:00	7.09	3.02	14.72	0.92	15.74	29.2	137	4.59
03-Oct-2024 06:00	7.07	3.06	14.78	0.86	16.82	29.1	137.5	4.29
03-Oct-2024 07:00	7.08	3.06	14.79	0.89	16.09	29.12	137	4.54
03-Oct-2024 08:00	7.07	3.07	14.8	0.87	16.53	29.22	137.5	4.32
03-Oct-2024 09:00	7.08	3.08	14.84	0.93	16.48	29.22	137.25	4.43
03-Oct-2024 10:00	7.07	3.08	14.8	0.94	13.6	29.18	137	4.46
03-Oct-2024 11:00	7.1	2.87	14.43	0.9	17.2	29.72	138.75	5.42
03-Oct-2024 12:00	7.14	2.85	14.42	0.86	16.62	29.88	138.5	5.55
03-Oct-2024 13:00	7.16	2.87	14.42	0.81	16.46	30.15	138.25	5.84
03-Oct-2024 14:00	7.17	2.89	14.5	0.86	16.1	30.3	137	5.98
03-Oct-2024 15:00	7.19	2.86	14.44	0.87	16.57	30.45	137.25	6.15
03-Oct-2024 16:00	7.21	2.87	14.45	0.86	17.06	30.5	137.5	6.24
03-Oct-2024 17:00	7.22	2.84	14.38	0.86	16.71	30.5	137.5	6.27
03-Oct-2024 18:00	7.21	2.84	14.4	0.83	16.69	30.5	137.25	6.2
03-Oct-2024 19:00	7.2	2.83	14.38	0.88	15.28	30.42	137.5	6.08
03-Oct-2024 20:00	7.18	2.85	14.4	0.86	16.06	30.4	137	5.95
03-Oct-2024 21:00	7.17	2.84	14.41	0.84	17.04	30.32	137	5.83
03-Oct-2024 22:00	7.17	2.86	14.43	0.85	16.59	30.32	137	5.88
03-Oct-2024 23:00	7.17	2.84	14.41	0.89	16.97	30.3	137	5.8

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No:- 07762-222911, Fax No. :- 07762222923

Email :- nraigarh@ymail.com website -www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक-534 / एस.टी.पी. / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2024

रायगढ़, दिनांक 03 / 10 / 2024

प्रति,

पर्यावरण अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
टी. व्ही. टावर रोड़ रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- News Item Titled "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिए जल सत्याग्रह" Appearing in Kelo Pravah dated 09-06-2024 के संबंध में।

संदर्भ :- NGT आदेश दिनांक 24-09-2024 सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा ऑरिजनल एप्लीकेशन नं. 192 / 2024 (CZ)

----0000----

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा ऑरिजनल एप्लीकेशन नं. 192 / 2024 (CZ) के माध्यम से समाचार पत्र केलो प्रवाह प्रकाशन दिनांक 09-06-2024 में प्रकाशित "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिए जल सत्याग्रह" को संज्ञान में लिया गया है तथा इस हेतु आदेश दिनांक 24-09-2024 जारी किया गया है। उपरोक्त प्रकाशन में 25 MLD एवं 07 MLD क्षमता के 02 STP स्थापना पश्चात् ही शहर का गंदा पानी सीधे नदी में प्रवाहित करने का लेख किया गया है, साथ ही घरों के अपशिष्ट नदी के किनारे फेंकने तथा नदी के बीच में मलबा होने का लेख किया गया है।

उपरोक्त विषय में लेख है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) दिये गये निर्देशों का पालन शब्दशः किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। केलो नदी रायगढ़ शहर के लिए जीवन दायनी नदी है तथा इसकी सुरक्षा एवं साफ-सफाई किया जाना रायगढ़वासियों के भविष्य हेतु अति आवश्यक है। वर्तमान में केलो नदी एवं आस-पास के क्षेत्र के सफाई एवं प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाये जाने में निम्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है -

- 1) टिपाखोल जलाशय से अत्यधिक मात्रा में लिकेज पानी शहर के नाले में मिलने से क्षमता से अधिक पानी STP के I&D एवं वेटवेल पंपिंग हाऊस में पहुँचना।
- 2) नदी किनारे के मोहल्लेवासियों द्वारा अज्ञानतावश घर के कचरों को नदी किनारे फेका जाना।
- 3) निकाय क्षेत्रांतर्गत शहर वासियों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग तथा प्लास्टिक को नदी में फेका जाना।
- 4) मूर्ति विसर्जन एवं पूजन सामग्रियों को नदी में फेका जाना।
- 5) रेल विभाग द्वारा रेल्वे ब्रीज का निर्माण कार्य।

नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्व में कार्ययोजना तैयार कर वर्तमान कार्यवाही की जा रही है, तथा वर्तमान में उपरोक्त कार्यवाहियों के पश्चात् उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन कार्य योजना तैयार की जा रही है। वर्तमान में केलो नदी एवं आस-पास के क्षेत्रों प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु निम्न कार्यवाहियाँ इस कार्यालय द्वारा की जा रही हैं -

1. माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट हेतु नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत 25 MLD क्षमता के सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण बाजीनपाली तथा 07 MLD सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण बड़े अत्तरमुड़ा में किया गया है। उपरोक्त दोनों ट्रीटमेंट प्लांट की निर्माण क्षमता, शहरी आबादी एवं घरों की संख्या के अनुसार किया गया है। नदी के दोनों किनारे शहरी आबादी के फैलाव एवं नाले की स्थिति को देखते हुए नदी के दोनों ओर 06-06 Inversion & Diversion Weir (I&D Point) का निर्माण किया

गया है। उपरोक्त I&D Point में प्लास्टिक वेस्ट को पृथक करने हेतु कोर्स स्क्रीन लगाये गये हैं। घरों से निकलने वाले गंदे पानी का I&D Point के माध्यम से वेट वेल होते हुए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचाया जाता है। स्थापित STP, SBR Technology पर आधारित है, जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से पानी का उपचार किया जाता है तथा पानी की गुणवत्ता परीक्षण STP प्लांट में निर्मित लैब में नियमित रूप से किया जाता है। STP का निर्माण कार्य M/s ENVIRO INFRA ENGINEERS PVT. LTD. दिल्ली द्वारा किया गया है, साथ ही 15 वर्षों तक संचालन कार्य इसी कम्पनी द्वारा किया जाना अनुबंधित किया गया है। इसी फर्म द्वारा सभी I&D Point का सफाई कार्य एवं सुधार कार्य भी किया जा रहा है। संचालन कार्य में लापरवाही पाये जाने पर नोटिस दिये जाने की कार्यवाही के साथ अर्थदण्ड (पैनाल्टी) की कार्यवाही की जा रही है। (छायाप्रति संलग्न)

2. शहर में 02 STP का निर्माण शहरी जनसंख्या एवं घरों की संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को नाली एवं I&D Point होते हुए STP में पहुँचाया जाता है तथा अपशिष्ट जल का उपचार कार्य किया जाता है। वर्तमान में अत्यधिक मात्रा में टिपाखोल जलाशय का पानी शहर के नालों में मिल रहा है। जिसके कारण STP की क्षमता से अधिक का पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है। टिपाखोल जलाशय से अत्यधिक मात्रा में पानी, शहर के नालों में मिलने से रोकने हेतु एवं स्थायी व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
3. गोवर्धनपुर स्थित रामपुर ट्रेचिंग ग्राउण्ड जिसमें वर्षों से शहर के घरों से निकलने वाले अपशिष्ट को डाला जा रहा था तथा बरसात में अत्यधिक मात्रा में लिचेट नदी में मिलने के समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया है। वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड पूरी तरह से बायो-रेमेडिएशन के माध्यम से अपशिष्ट को प्रसंस्कृत किया गया है। उपरोक्त कार्य से वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड का लिचेट नदी में नहीं मिल रहा है।
4. नदी किनारे मोहल्लेवासियों द्वारा कचरा फेंकने को पूर्ण रूप से बंद किये जाने हेतु नदी के दोनों किनारों पर लगातार सफाई अभियान आयोजित कर जन जागरुकता फैलायी जा रही है। इस क्रम में दिनांक 22-09-2024 को नदी किनारे के सभी CTU's के सफाई हेतु 2000 से अधिक वॉलियेन्टियर सफाई अभियान में सम्मिलित हुए। इस अभियान को MoHUA के टॉप स्टोरीस में भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त नदी किनारे में कचरा फेंकते हुए पाये जाने पर अर्थदण्ड (पैनाल्टी) की कार्यवाही की जा रही है। (छायाप्रति संलग्न)
5. आम नागरिकों द्वारा मूर्ति विसर्जन एवं पूजन सामग्रियों को नदी में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस हेतु मूर्ति विसर्जन कुण्ड का पृथक से निर्माण किया गया है एवं पूजन सामग्रियों को फेंकने हेतु RCC डस्टबीन स्थापित किये गये हैं। परन्तु रायगढ़ शहर में पूर्व से ही मूर्ति विसर्जन नदी में किये जाने की प्रथा चलन में है जिसे वर्तमान जनवासियों द्वारा धर्म का विषय बताकर, बनाये गये पृथक कुण्ड में विसर्जित किये जाने से कई बार मना किया जाता है। इस हेतु नगर निगम लगातार प्रयासरत है।
6. रेल विभाग द्वारा रेल लाईन के विस्तार हेतु नदी के उपर रेल्वे ब्रीज निर्माण का कार्य विगत 02 वर्षों से किया जा रहा है। रेल्वे ब्रीज के निर्माण हेतु नदी के मध्य में पत्थरों के माध्यम से डायवर्सन प्वाइंट का बनाया गया है। प्रकाशित न्यूज एजेन्सी के द्वारा उक्त डायवर्सन प्वाइंट को मलबा उल्लेखित कर मलबा जमा होने का लेख किया गया। वर्तमान में रेल्वे लाईन का कार्य प्रगतिरत है।

केलो नदी को प्रदूषण मुक्त बनाये रखने हेतु उपरोक्त कार्यवाहियों के अतिरिक्त निम्न कार्यों को प्रस्तावित किया है -

- (i) प्रदूषित जल को वर्षा ऋतु के जल से मिलने से रोकने के लिए नगर में विभिन्न मुख्य नालों जैसे - इंद्रानगर नाला, केवड़ाबाड़ी नाला आदि नालों के दोनों ओर लाईनिंग एवं पाईप लाईन हेतु सिवर नेटवर्क बिछाये जाने की कार्य योजना बनाई गई है, जो कि लगभग राशि 82.28 करोड़ की योजना है। भारत सरकार के UIDF योजनांतर्गत इस कार्य की स्वीकृति हेतु संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कार्यालयीन पत्र क्र. 628 दिनांक 09-02-2024 के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
- (ii) केलो नदी के सौन्दीर्यकरण एवं उद्यान निर्माण हेतु प्राकल्लन राशि रु. 30.00 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार के UIDF योजनांतर्गत कार्य की स्वीकृति हेतु संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कार्यालयीन पत्र क्र. 628 दिनांक 09-02-2024 के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
- (iii) केलो नदी के सौन्दीर्यकरण एवं रिवर फ्रंट विकास के लिए जिला रायगढ़ में स्थित विभिन्न उद्योग/कम्पनियों के सी.एस.आर. मद से केलो नदी के संरक्षण एवं स्वच्छ सुन्दर बनाये जाने के उद्देश्य से केलो रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। जो कि निम्नानुसार है -
 - a) खर्गाघाट ब्रिज से ओल्ड केलो ब्रिज तक राशि रु. 49.99 करोड़ (फेस 01)
 - b) ओल्ड जिंदल ब्रिज से कायाघाट ब्रिज तक राशि रु. 38.03 करोड़ (फेस 01)


इस तरह कुल राशि रु. 87.52 करोड़ का प्रोजेक्ट कलेक्टर सी.एस.आर. रायगढ़ को कार्यालयीन पत्र क्र. 1927 दिनांक 19.09.2024 को भेजा गया है (छायाप्रति संलग्न)।

- (iv) निर्मित STP के RR9 I&D Point से ओव्हरफ्लों होने पर सॉलिड वेस्ट नदी में मिलने से रोकने हेतु अतिरिक्त Course Screen लगाये जाने हेतु प्राकल्लन तैयार किया गया है। साथ ही नदी के दोनों ओर जहाँ पर बस्तियाँ हैं, उन स्थानों को चिन्हांकित कर जाली लगाने एवं ओल्ड भगत सिंह पुल, जहां से नदी में नागरिकों द्वारा अपशिष्ट फेके जाने की संभावना रहती है, पर जाली लगाने का प्राकल्लन तैयार कर, प्रस्ताव संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, को कार्यालयीन पत्र क्र. 369 दिनांक 24-09-2024 के माध्यम से अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है (संलग्न छायाप्रति के सूची क्र. 105, 106 एवं 125 पर अंकित है)।

उपरोक्त कार्यवाहियों से परिलक्षित होता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा केलो नदी के उचित रख-रखाव हेतु संकल्पित है, जिसके लिए विभिन्न स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

अतः वर्तमान प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक...534... / एस.टी.पी. / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2024
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 03/10/2024

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Email : - nraigarh@a ymail.com website - www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 373/लो.क.वि./न.पा.नि./2024

रायगढ़, दिनांक 25/09/24

प्रति,

M/s ENVIRO INFRA ENGINEERS PVT.LTD.

201, 2nd Floor, R.G. Metro Arcade

Sector 11, Rohini Delhi 110085

Phone No. 40591549, 47563394

विषय - एस.टी.पी. संचालन में अनियमितता के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र. 204, दिनांक 09.07.2024।

---00---

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्र में 25 एम.एल.डी. एस.टी.पी. एवं 07 एम.एल.डी. एस.टी.पी. योजना का संचालन एवं संधारण 15 वर्षों के लिए आपके द्वारा किया जाना है। एस.टी.पी. के साथ-साथ उनसे जुड़ आई एण्ड डी स्ट्रक्चर आर.आर. एवं एल.आर. साईड दोनों का नियमित संधारण आपके द्वारा किया जाना है। निरीक्षण में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त आई एण्ड डी. स्ट्रक्चर्स को ऑपरेशनल कंडिसन में नहीं रखा गया है, जिसके कारण नालों से सालिड वेस्ट (प्लास्टिक आदि) एवं अतिरिक्त पानी सीधे नदी में मिल रहा है एवं नदी में आई एण्ड डी के मोहाने पर प्लास्टिक वेस्ट दिख रहा है। इस संबंध में दिनांक 20.09.2024 को केलो सफाई के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है।

आपके द्वारा लापरवाही पूर्वक आई एण्ड डी के संचालन करने एवं गेट नॉन ऑपरेशन कंडिसन के कारण योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि ओ एण्ड एम अनुबंध के Annexure "E-XI" के कंडिका 06 के अनुसार आपके फर्म की ओर से प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना है, परन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है। आपके कर्मचारी निकाले गये Sludge संबंध में जानकारी दे पा रहे हैं। वर्षा ऋतु में पाया गया है कि आपके द्वारा जिस दिन भी वर्षा होती है, प्लांट को बंद कर दिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। O&M अनुबंध के अनुसार आपको प्लांट की अधिकतम क्षमता तक पानी को फिल्टर किया जाना है तथा अधिक पानी को बायपास अरेंजमेंट के माध्यम से निस्तारित किया जाना है।

उपरोक्त कंडिकाओं के संबंध में नियमानुसार संचालन नहीं करने के विरुद्ध क्यों ना एक लाख की पेनाल्टी आरोपित की जावे।

Klyi
कार्यपालन-अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 373/लो.क.वि./न.पा.नि./2024

रायगढ़, दिनांक

25/09/24

प्रतिलिपि :-

1. महापौर महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. श्री सूरज देवांगन, सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।

Klyi
कार्यपालन-अभियंता
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No:- 07762-222911, Fax No. :- 07762222923

Email :- nraigarh@ymail.com website

-www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक...515 / एस.टी.पी. / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2024

रायगढ़, दिनांक 27 / 09 / 2024

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन विभाग
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- टिपाखोल जलाशय का पानी शहरी नाला में मिलने बाबत।

----00000-----


विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट हेतु नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत 25 MLD क्षमता के सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण बाजीनपाली तथा 07 MLD सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण बड़े अत्तरमुड़ा में किया गया है। उपरोक्त दोनों ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता शहरी आवादी एवं घरों की संख्या के अनुसार किया गया है। एस.टी.पी. के संचालन दिनांक से ही क्षमता से अधिक पानी का प्रवाह I&D Point में हो रहा है जिसके कारण एस.टी.पी. की क्षमता तक का पानी उपचारित किया जा रहा है तथा क्षमता से अधिक का पानी सीधे केलो नदी में प्रवाहित हो रहा है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु दिनांक 14-05-2024 को आपके विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (SDO) व नगर निगम के सहायक अभियंता द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि टिपाखोल जलाशय के गेट में लिकेज की समस्या होने से जलाशय का पानी नाले के माध्यम से नदी में प्रवाहित हो रहा है।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 192/2024 (CZ) के माध्यम से समाचार पत्र केलो प्रवाह प्रकाशन दिनांक 09-06-2024 में प्रकाशित "केलो नदी को बनाया कचरा डम्पिंग यार्ड, संरक्षण के लिए जल सत्याग्रह" को संज्ञान में लिया गया। उपरोक्त प्रकाशन में नालियों का पानी सीधे नदी में मिलने का लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्या के तत्काल निराकरण हेतु आवश्यक है कि टिपाखोल जलाशय का पानी किसी भी स्थिति में शहर के नाले में सम्मिलित न हो, इस हेतु टिपाखोल जलाशय के गेट का मरम्मत तत्काल करने का कष्ट करें, साथ ही अस्थायी व्यवस्था हेतु डायवर्सन प्वाइंट तैयार कर पानी को नहर में छोड़ा जाना सुनिश्चित करें।

॥ सूचनार्थ ॥



आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक...515 / एस.टी.पी. / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2024

रायगढ़, दिनांक 27 / 09 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पर्यावरण अधिकारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

[प्राह्वय व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.व.)

विविध रसीद

44

रसीद क्र. 5

माया कुमारी

रायगढ़ (छ.व.)

हए।
में)

100/-

एक सौ रुपये

28/9/24

लिपिक मोहरिरे के हस्ताक्षर

[प्राह्वय व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.व.)

विविध रसीद

34

रसीद क्र.

पट्ट-खान

प्राप्त हुए।

(शब्दों में)

गंदगी जुर्माना
दो सौ शठ मात्र

200/-

29/9/2024

लिपिक मोहरिरे के हस्ताक्षर

[प्राह्वय व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.व.)

विविध रसीद

34

रसीद क्र.

फूलवाडी वैरागी

प्राप्त हुए।

(शब्दों में)

गंदगी जुर्माना
एक सौ शठ मात्र

100/-

29/9/2024

लिपिक मोहरिरे के हस्ताक्षर

[प्राह्वय व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.व.)

विविध रसीद

6 34

रसीद क्र.

7

इपनारखण

प्राप्त हुए।

(शब्दों में)

गंदगी जुर्माना
एक सौ शठ मात्र

100/-

29/9/2024

लिपिक मोहरिरे के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

44

रसीद क्र. 1

आपापति लक्ष्मी दुआरा

रायगढ़ जिला

100/-

एक लाख रुपये

25/09/24

लिपिक मोहररि के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

44

रसीद क्र. 2

आपापति लक्ष्मी दुआरा

रायगढ़ जिला

100/-

एक लाख रुपये

25/09/24

लिपिक मोहररि के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

44

रसीद क्र.

आपापति लक्ष्मी दुआरा

रायगढ़ जिला

100/-

एक लाख रुपये

प्राप्त हुए।
शब्दों में)

25/09/24

लिपिक मोहररि के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

44

रसीद क्र. 4

आपापति लक्ष्मी दुआरा

रायगढ़ जिला

प्राप्त हुए।
शब्दों में)

100/-

एक लाख रुपये

25/09/24

लिपिक मोहररि के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]
नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)
विविध रसीद

क्र. 31 रसीद क्र. 3

ममता सतनामी
 गंढगी

में प्राप्त हुए।
 (शब्दों में) सौ रुपये मात्र

100/-

दिनांक : 05/09/24 लिपिक मोहररि के हस्त

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]
नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)
विविध रसीद

क्र. 31 रसीद क्र. 4

मीरा कुमारी
 गंढगी

में प्राप्त हुए।
 (शब्दों में) सौ रुपये मात्र

100/-

दिनांक : 05/9/24 लिपिक मोहररि के हस्त

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]
नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)
विविध रसीद

क्र. 31 रसीद क्र. 5

अराधना साहू
 गंढगी

में प्राप्त हुए।
 (शब्दों में) सौ रुपये मात्र

100/-

दिनांक : 17/9/24 लिपिक मोहररि के हस्त

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]
नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)
विविध रसीद

क्र. 31 रसीद क्र. 6

जानिता शिवस
 गंढगी

में प्राप्त हुए।
 (शब्दों में) सौ रुपये मात्र

100/-

दिनांक : 17/9/24 लिपिक मोहररि के हस्त

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

10

रसीद क्र.

29

अभिल

नदी किनारे गंदगी कारण

100/-

रकू रसो रूपये

20/9/24

K Behra
लिपिक मोहरिर के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

11

रसीद क्र.

29

नदी किनारे गंदगी से

100/-

रकू रसो रूपये

5/09/24

K Behra
लिपिक मोहरिर के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

12

रसीद क्र.

29

नदी किनारे गंदगी से

रकू रसो रूपये

100/-

25/09/24

K Behra
लिपिक मोहरिर के हस्ताक्षर

[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

13

रसीद क्र.

29

नदी किनारे गंदगी से

रकू रसो रूपये

100

17/09/24

K Behra
लिपिक मोहरिर के हस्ताक्षर



[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

पुस्तक क्र. 33

रसीद क्र. 8

श्री पनो जे जे रावल से

गंदगी कलेक्ट से

संबंध में प्राप्त हुए।

रूपया (शब्दों में) एक सौ रुपये मात्र

रूपया 100/-

दिनांक : 27-9-2024

लिपिक मोहररि के हस्ताक्षर



[प्रारूप व नियम 20.24 (1)]

नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध रसीद

पुस्तक क्र. 33

रसीद क्र. 7

श्री पदीप चौहान से

गंदगी कलेक्ट से

ध में प्राप्त हुए।

या (शब्दों में) दो सौ रुपये मात्र

या 200/-

दिनांक : 27-9-2024

लिपिक मोहररि के हस्ताक्षर

नगरपालिका नगर पालिक निगम, रायगढ (छत्तीसगढ)

Email : - nraigarh@ymail.com website - www.nagarnigamraigarh.com

/ लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2024 / 628

रायगढ, दिनांक 9.02.2024

संचालक

नगरपालिका, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक वी चतुर्थ तल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रस्ताव - नगर पालिक निगम, रायगढ क्षेत्रान्तर्गत UDIF योजनान्तर्गत प्रस्ताव भेजने बाबत।

---00---

विषयान्तर्गत लेख है कि नगर पालिक निगम, रायगढ क्षेत्र में UDIF के विभिन्न मदों के अन्तर्गत निम्नानुस
प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- (राशि रु. करोड़ में)

क्र.	प्रोजेक्ट का नाम	कार्यो का विवरण	योजना लागत
1	जल प्रदाय योजना	निगम के छोडे गये क्षेत्रों में पाईप लाईन विस्तार, पानी टंकी, नल कनेक्शन आदि।	15.00
2	सिबेज नेटवर्क	सिबेज नेटवर्क एस.बी.एम. 2.0 के शेष कार्य।	82.28
3	लोकल एरिया डेवलपमेंट केलो रिवर फ्रन्ट	केलो नदि में सौंदर्यीकरण, चौपाटी, उद्यान आदि।	30.00
4	लोकल एरिया डेवलपमेंट मल्टीलेवल पार्किंग	मल्टीलेवल पार्किंग एवं चौक-चौराहों का सुदृणीकरण कार्य।	14.00
5	टाउन प्लानिंग ग्रीन फिल्ड	पार्क एवं तालाबों का विकास कार्य एवं पंचधारी इको पार्क विकास कार्य।	8.50
6	ट्रेफिक डेवलपमेंट	अन्तरराज्य बस अड्डा एवं सीटी टर्मिनल निर्माण कार्य।	37.35
7	हेरिटेज कजरवेसन	टाउन हॉल, पहाड मंदिर, समलाई मंदिर, रायगढ क्लब का कजरवेसन कार्य इको टूरिज्म।	16.75
8	सडक निर्माण	गोवर्धनपुर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, विजयपुर रोड, चाँदनी चौक पुलिया।	53.22
9	स्पोर्ट्स विकास	मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स हॉल, एथलेटिक ट्रेक, शहिद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम का अपडेसन कार्य।	22.21
कुल योग :-			279.31

अतः उपरोक्तानुसार कार्यो की पृथक-पृथक सक्षेपिका दो पेज के साथ कुल योजना राशि रु. 279.31 करोड प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- Two Pager & Additional information.

9.2.24
Commissioner
Municipal Corporation
Raigarh (C.G.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Email : - nraigarh@ymail.com website - www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2024

रायगढ़, दिनांक 24/09/2024

प्रति,

संचालक
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं० चतुर्थ तल,
नया रायपुर, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अधोसंरचना मद अंतर्गत विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. जिला रायपुर का पत्र क्र. / वार/लेअनु/2024-25/4210 नया रायपुर दिनांक 21.08.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्र. 265 दिनांक 01.08.2024

---00---


विषयान्तर्गत लेख है कि मान. उप मुख्यमंत्री एवं गारराषक मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2024 को नगर पालिक निगम, रायगढ़ को अधोसंरचना मद अंतर्गत विकास कार्यों हेतु राशि रु. 8.00 करोड़ अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है। जिसके परिपालन में नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्र. 265 दिनांक 01.08.2024 द्वारा राशि रु. 438.81 लाख का प्रस्ताव (सं.क्र. 01 से 95 तक) प्रेषित किया गया था तथा राशि रु. 360.95 लाख का प्रस्ताव (सं.क्र. 96 से 137 तक) इस प्रकार कुल राशि रु. 799.76 लाख का प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि
1	2	3
1	वार्ड क्र. 02 में पार्पद घर से सजय मैदान तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	11.25
2	वार्ड क्र. 02 में भुजबधान तालाब से धरमशाला तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	10.31
3	वार्ड क्र. 03 में हॉस्पिटल से अशोक श्रीवारतव घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	3.25
4	वार्ड क्र. 03 में मीना अग्रवाल घर से यादव घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	5.10
5	वार्ड क्र. 03 में स्कूल के पीछे में बनतारा घर से प्रकाश तिकी घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	4.95
6	वार्ड क्र. 03 में सुमित्रा लकड़ा घर से मालती घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	5.00
7	वार्ड क्र. 03 में अजु अग्रवाल घर से मनीष कुमार घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	5.00
8	वार्ड क्र. 05 में जवाहर नगर मंदिर से बरवा मेडम घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	3.50
9	वार्ड क्र. 05 में नाका घर से मेन नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	5.68
10	वार्ड क्र. 05 में गोल्डी सोना घर से नरेश सोना घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	5.25
11	वार्ड क्र. 05 में शेखर घर से आशा वाग घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	4.10
12	वार्ड क्र. 05 में मेनरोड से सत्यम महानन्द घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	3.40
13	वार्ड क्र. 10 में तिजरांम वरेठ घर से मेन रोड तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	1.50
14	वार्ड क्र. 10 में जयपाल नत्थू घर से मुख्य मार्ग तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	3.35
15	वार्ड क्र. 10 में भोला भांघा घर से मनहर मजहर घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	2.34
16	वार्ड क्र. 10 में चादमारी स्कूल से मुख्य मार्ग तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	6.10
17	वार्ड क्र. 10 में घासीराम यादव घर से मुख्य मार्ग तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	8.10
18	वार्ड क्र. 16 रमेश साहू के घर से लेकर सीता देवी मिश्रा के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.65
19	वार्ड क्र. 16 जगन्नाथ मंदिर से लेकर मनीषा त्रिपाठी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4.10
20	वार्ड क्र. 16 सामुदायिक भवन से लेकर सुनिल पाण्डेय के घर से होते हुए पूजा चौबे के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4.50
21	वार्ड क्र. 18 में टिल्लू शर्मा घर से राजेश काशिया घर तक नाली निर्माण कार्य।	2.70
22	वार्ड क्र. 18 में आटा चक्की से राधा गांधव घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	2.16
23	वार्ड क्र. 18 में हरि पान ठेला से चौधरी घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	1.62
24	वार्ड क्र. 18 में चोपड़ा गली में महंत घर से दीपक टोक घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	2.23
25	वार्ड क्र. 18 में नायक सर घर से गायकवाड घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	0.85
26	वार्ड क्र. 18 में जयराम कॉलोनी में रूपा दुकान से पाहवा जंगरल तक नाली निर्माण कार्य।	2.16
27	वार्ड क्र. 18 में अजय मेडिकल से बाबूलाल निपाद घर तक नाली निर्माण कार्य।	4.05
28	वार्ड क्र. 18 में जयराम कॉलोनी में रूपा दुकान से पाहवा जंगरल तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	2.09
29	वार्ड क्र. 18 में अजय मेडिकल से बाबूलाल निपाद घर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	2.24
30	वार्ड क्र. 19 में मुरारीलाल महाविद्या के घर से लेकर मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य।	4.05

129	वार्ड क्र. 25 प्रेमलाल साय घर से राधे श्याम सिदार घर तक, एस.एल.आर.एम. से महेश मूर्तिकार घर तक सी.सी. सडक एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	7.59
130	वार्ड क्र. 22 रथ वकिल से मुकेश बैरागी घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	2.60
131	वार्ड क्र. 25 मेन रोड से प्रफुल सारथी घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	2.89
132	वार्ड क्र. 26 कृष्णा नगर छोटे अतरगुडा मे सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	3.12
133	वार्ड क्र. 26 ताज फर्निचर से गिभ्रा घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	4.10
134	वार्ड क्र. 26 नितिन सिन्हा घर से अरविन्द यादव घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	6.78
135	ट्रासफार्मर नीचे सुरक्षा दिवाल (10 स्थानों पर)	5.00
136	मोबाईल टॉगलेट (02 नग)	20.00
137	चक्रपथ रोड साईट उद्यान मे ग्रील एवं छातागुडा चौक के पास ग्रील शैलिंग कार्य।	8.00
कुल योग :-		799.76

अतः कृपया उपरोक्त कार्य हेतु कुल राशि रू. 799.76 लाख की अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न :- प्राक्कलन की प्रति।



 आयुक्त
 नगर पालिक निगम
 रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 24/09/2024

प्र.क्र. 369 / लो.क.वि./न.पा.नि./2024

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय श्री ओ.पी. चौधरी जी, मंत्री, वित्त, वाणिज्यकर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला-रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।


 आयुक्त
 नगर पालिक निगम
 रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Phone No. :- 07762-222911, Fax No. :- 07762-222923
Email :- nraigarh@ymail.com, website - www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 1927/ लो.क.वि./न.पा.नि./2024

रायगढ़, दिनांक 19/09/2024

प्रति,

कलेक्टर (सी.एस.आर.)
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत केलो रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कार्य के संबंध में।

-----0000-----

विषयांतर्गत लेख है की केलो नदी के संरक्षण, स्वच्छ एवं सुंदर बनाये जाने के उद्देश्य से केलो रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंसलटेंट द्वारा तैयार किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. खर्राघाट पुल से ओल्ड केलो ब्रीज लागत राशि रु. — 49.99 करोड़ (फेस1)
2. ओल्ड जिंदल ब्रीज से कायाघाट ब्रीज तक लागत राशि रु. — 38.03 करोड़ (फेस2)


उपरोक्त कार्य हेतु

कुल राशि रु. — 87.52 करोड़

अतः कुल राशि रु. 87.52 करोड़ सी.एस.आर./डी.एम.एफ. मद से प्रशासकिय स्वीकृति प्रदान करने कष्ट करें।

संलग्न :- 1. DPR + Preliminary Estimate.

धन्यवाद



19.9.24
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / लो.क.वि./न.पा.नि./2024

रायगढ़, दिनांक

प्रतिलिपि :-

01. महाप्रबंधक, एसईसीएल जिला रायगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)